

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1986
दिनांक 17 दिसंबर, 2025 / 26 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव

1986. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों और जिलों की संख्या तथा वर्ष 2025 में इसके अनुरूप प्रभावित संख्या कितनी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु सहित एलडब्ल्यूई से संबंधित मौतों की तुलनात्मक संख्या कितनी है और इस कमी के लिए मुख्य कारण क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों में एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में किए गए प्रमुख विकास कार्य-जैसे नई सड़कों का निर्माण, दूरसंचार संपर्क, बैंकिंग सुलभता, सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ और पुनर्वास की पहलें क्या हैं; और

(घ) सरकार के पास देश के सभी भागों से वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह समाप्त करने की अनुमानित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ):

(i) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' के विषय राज्य सरकारों के अधीन हैं। हालाँकि, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहयोग दे रही है। वामपंथी उग्रवाद की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए, 2015 में "वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना" का अनुमोदन किया गया। इसमें सुरक्षा संबंधी उपायों,

विकास संबंधी पहलों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने आदि से जुड़ी एक बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है। "राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015" के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हिंसा में लगातार कमी आई है और भौगोलिक विस्तार सीमित हुआ है। वामपंथी उग्रवाद, जो राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती रहा है, हाल के दिनों में काफी हद तक नियंत्रित हुआ है और अब केवल कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह गया है। वामपंथी उग्रवादियों द्वारा की गई हिंसा की घटनाएं वर्ष 2010 में 1936 के उच्च स्तर से 89% घटकर वर्ष 2025 में 222 हो गई हैं। नागरिकों और सुरक्षा बलों की परिणामी मृत्यु भी वर्ष 2010 में 1005 के उच्च स्तर से 91% घटकर वर्ष 2025 में 95 हो गई है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से घटकर 90, जुलाई 2021 में 70, अप्रैल 2024 में 38, अप्रैल 2025 में 18 तथा अक्टूबर 2025 में घटकर 11 हो गई है, जिसमें अब केवल 3 जिले ही सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित हैं। नक्सलवाद के समाधान हेतु सरकार ने उसके मुख्य कारण के निदान के लिए आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा स्थिति तथा बुनियादी ढांचे में निवेश से निजी निवेश में वृद्धि सहित उन्नत आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बना है।

(ii) सुरक्षा उपायों में, भारत सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की बटालियनें, हेलीकॉप्टर सहायता, कैंप अवसंरचना को मजबूत करना, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन, उपकरण और हथियार, खुफिया जानकारी साझा करना, सुदृढ़ पुलिस स्टेशनों का निर्माण, तथा इंडिया रिज़र्व बटालियन आदि प्रदान करती है।

- 2020-21 से, राज्यों की क्षमता निर्माण हेतु, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अंतर्गत, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को बलों के परिचालन व्यय एवं राज्य पुलिस बलों के प्रशिक्षण पर किए गए व्यय, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों के पुनर्वास, वामपंथी उग्रवाद हिंसा में मारे गए नागरिकों/ शहीद सुरक्षा बल कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह राशि आदि के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक लगभग कुल 1,643 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को राज्य के विशेष बलों, राज्य खुफिया शाखाओं (एसआईबी), जिला पुलिस को सुदृढ़ बनाने और विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) के अंतर्गत फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों (एफपीएस) के निर्माण हेतु 1757 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
- वामपंथी उग्रवादियों को मुख्यधारा में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, राज्यों की अपनी आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीतियाँ हैं। 'आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास' नीति के माध्यम

राज्य सभा अतारांकित प्र. सं. 1986, दिनांक 17.12.2025

से, भारत सरकार द्वारा राज्यों के प्रयासों में सहयोग प्रदान किया जाता है और आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के पुनर्वास पर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। पुनर्वास पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ उच्च रैंक वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों के लिए 5 लाख रुपये और अन्य वामपंथी उग्रवादी कैडरों के लिए 2.5 लाख रुपये का तत्काल अनुदान शामिल है। इसके अलावा, इस योजना के तहत हथियारों/गोला-बारूद के समर्पण के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, तीन वर्ष के लिए 10,000/- रुपये के मासिक वजीफे के साथ उनकी पसंद के व्यापार/व्यवसाय में प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। प्रभावित राज्यों ने अपनी आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीतियों को आकर्षक और समकालीन बनाने के लिए और संशोधित किया है।

- राज्यों द्वारा अपने पुलिस बलों को सुसज्जित और आधुनिक बनाने के प्रयासों को "पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता" योजना के तहत संपूरित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को हथियार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, संचार, प्रशिक्षण, पुलिस स्टेशनों का निर्माण, गतिशीलता, पुलिस आवास और अन्य पुलिस बुनियादी ढांचे के निर्माण आदि के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
- वामपंथी उग्रवाद के वित्तीय प्रवाह को रोकने और सीपीआई (माओवादी) तथा इसके वित्तीय समर्थकों के बीच सांठगांठ का खुलासा करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। वामपंथी उग्रवाद के लिए निधियों और अन्य संसाधनों के प्रवाह को रोकने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई के लिए, राज्य पुलिस द्वारा विभिन्न तरीकों से केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से समन्वित कार्रवाई की जा रही है।
- सुरक्षा संबंधी अवसंचरना पर भारत सरकार का अत्यधिक ध्यान रहा है। पिछले दशक में 656 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा पिछले छह वर्षों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में 377 नए सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए हैं।

(iii) विकास उपायों में, भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के अलावा, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट पहल की गई हैं, जिनमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार संपर्क में सुधार, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

- सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए, वामपंथी उग्रवाद से संबंधित दो विशिष्ट योजनाओं, अर्थात् सड़क आवश्यकता योजना (आरआरपी) और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के अंतर्गत 8,301 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है।

राज्य सभा अतारांकित प्र. सं. 1986, दिनांक 17.12.2025

- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क में सुधार के लिए 6,775 टावर स्थापित किए गए हैं।
- कौशल विकास के लिए, 19 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 05 कौशल विकास केन्द्र (एसडीसी) कार्यशील हैं।
- जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 95 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) संचालित किए गए हैं।
- वित्तीय समावेशन के लिए, डाक विभाग ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 4,262 डाकघर खोले हैं। सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 719 बैंक शाखाएं और 204 एटीएम खोले गए हैं।
- विकास को और गति देने के लिए, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस (एससीए) योजना के तहत सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे में क्रिटिकल गैप्स को भरने के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक लगभग कुल 1,576 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(iv) 2020-2025 के दौरान, मारे गए नागरिकों एवं शहीद सुरक्षा बलों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(v) भारत सरकार हमारे देश से वामपंथी उग्रवाद (LWE) के पूर्ण उन्मूलन तथा वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो रहे क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

वामपंथी उग्रवाद : संबंधित आँकड़ें

वर्ष	नागरिक मारे गए	सुरक्षा बल शहीद
2020	140	43
2021	97	50
2022	82	16
2023	106	32
2024	131	19
2025 (01.12.2025 तक)	61	32
Total	617	192
